भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1258

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : कृषोन्नति योजना के अंतर्गत सतत कृषि पद्धतियां

1258. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषोन्नति योजना (केवाई) के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रमों से सतत् कृषि पद्धतियों को किस प्रकार सहायता मिलेगी;

(ख) कृषोन्नति योजना के अंतर्गत विशेषकर उन राज्यों में जहां मोनोक्रॉपिंग प्रचलित है, पारंपरिक मुख्य खाद्य पदार्थों के अलावा फसल उत्पादन का विविधीकरण किस प्रकार किया जाएगा;

(ग) कृषोन्नति योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और शीतागारों की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए कितने प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण किसानों में कृषि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कृषोन्नति योजना की निधि का उपयोग करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषोन्नति योजना 08 योजनाओं अर्थात समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), कृषि विस्तार पर उप-मिशन (एसएएमई), एकीकृत कृषि विपणन योजना, डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयलपाम (एनएमईओ-ओपी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) की एक छत्रक योजना है। इन योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन,

उत्पादकता और उपज के मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करना है। इन योजनाओं ने क्षेत्र विस्तार, मृदा की उर्वरता की बहाली आदि सहित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में बेहतर परिणाम दिए हैं। एनएफएसएनएम और एमआईडीएच योजना में, जलवायु परिवर्तन और विपरीत जलवायु परिस्थितियों में सतत कृषि जैसे मुद्दों के समाधान के लिए जलवायु अनुकूल कृषि को अपनाया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, संशोधित बजट अनुमानों (आरई) के अनुसार, कृषोन्नति योजना के तहत स्वीकृत कुल धनराशि 7106.36 करोड़ रुपये है। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत, वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान 1800 करोड़ रुपये तय किया गया है। एमआईडीएच में राज्यों को कोल्ड स्टोरेज की स्थापना और आधुनिकीकरण सहित पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पीएचएम) के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के कम से कम 30% के न्यूनतम आवंटन के लिए भी जोर दिया जा रहा है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अपने संबद्ध कार्यालय के माध्यम से पूरे देश में वैज्ञानिक भंडारण और भंडारण अवसंरचना के अतिरिक्त अन्य अवसंरचना के निर्माण में सहायता के लिए एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-योजना "कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)" को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, कृषि उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध है।

*****